

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-02/2016/.....26..... /पटना, दिनांक.....21-09-17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, अररिया, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 53,95,100/- (तिरपन लाख पन्चानवे हजार एक सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454021110001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 16 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में आवंटित राशि का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालयों में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान पर किया जाना है।
10. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है, में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।
11. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहायक निदेशक निदेशक

ज्ञापांक 26/पटना, दिनांक 21-09-17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 26/पटना, दिनांक 21-09-17

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 26/पटना, दिनांक 21-09-17

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
 2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
 3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 बनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-बन्म-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विवरण कोड-35-3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-06	योग- 01-06	06-01	11-01	13-01	13-04	13-05	13-06	20-03	28-02	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	विकल्पा भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	विकल्पा प्रतिपूति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वर्दी/ पोशाक	प्रशिक्षण व्यय	व्यवसायिक सेवारं/ सविदा सेवारं	
1	बक्सर	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	-	300000
2	रोहतास	200000	20000	9200	-	229200	-	-	30000	-	-	-	-	-	259200
3	नवादा	500000	1800	105000	-	606800	-	-	-	-	-	-	-	40000	646800
4	औरंगाबाद	500000	5000	60000	-	565000	-	-	-	-	-	-	-	-	565000
5	भागलपुर	200000	-	-	-	200000	-	-	-	-	-	-	-	-	200000
6	बांका	300000	35000	48000	-	383000	-	-	-	-	-	-	-	-	383000
7	पूर्णिया	700000	4000	50000	-	754000	-	-	-	-	-	-	-	-	754000
8	कटिहार	168000	-	21500	100	189600	-	25000	-	-	-	-	-	-	214600
9	सुपौल	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	-	300000
10	मधुबनी	500000	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	500000
11	समस्तीपुर	101000	-	-	-	101000	-	-	-	-	-	-	-	-	101000
12	वैशाली	500000	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	500000
13	अररिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	50000
14	सारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	100000
15	सिवान	200000	1000	25000	-	226000	-	-	-	-	-	-	-	-	226000
16	गोपालगंज	259000	-	36500	-	295500	-	-	-	-	-	-	-	-	295500
		4728000	66800	355200	100	5150100	0	25000	0	30000	0	0	0	190000	5395100

(विरपन लाख पन्चानवे हजार एक सौ) रूपये मात्र।

बजट सहायक

प्रशाखा पराधिकारी

सहायक निदेशक

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय